



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275607
CG-DL-E-20082026-275607

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4397]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4397]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

का.आ. 4577(अ) .— केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, श्री मनमोहन सामल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करती है।

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/110/2023-पीएमएसएसवाई-IV(8220012)]

विजय नेहरा, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th August, 2026

S.O. 4577(E).— In exercise of powers conferred by Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby notifies **Shri Manmohan Samal** elected by the Members of Rajya Sabha to serve as Member of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Bhubaneswar**.

The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/110/2023-PMSSY-IV (8220012)]

VIJAY NEHRA, Addl. Secy.